बिहार राज्य भंडार निगम

बी–2, प्रथम तल, गौर्यलोक परिसर, पटना–1

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य भंडार निगम के अभियंत्रण शाखा के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु निगम के कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद पर कार्य करने हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का पैनल निगम स्तर पर निर्माण कर उसी पैनल से निगम स्तरीय समिति के माध्यम से आवश्यकतानुसार संविदा के आधार पर नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का निर्गत संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 के अन्तर्गत किया जाना है। अतएव बिहार राज्य भंडार निगम (पता– बी–2, प्रथम तल, गौर्यलोक, पटना–01) सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के पद पर जिनकी आयु दिनांक 01.10.2026 को 62 वर्ष से कम हो, से पैनल निर्माण के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आनलाईन अथवा निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित करता है:–

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	अनुभव –अहर्ता
1.	कार्यपालक अभियंता	01	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। 2. भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का कम से कम 02 (दो) वर्षों अनुभव।

समाचार पत्रों में यह विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर Online/ पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से विहित प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किये जाएगें। आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अनुभव तथा अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक उत्तरदायी होंगे।

अर्हता एवं शर्तें निम्नवत् है:–

1. **चयन का आधार:–** सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का चयन पैनल में किया जायेगा।
2. **पैनल:–** पैनल बिल्कुल अस्थायी होगा एवं सम्प्रति इसकी वैधता एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। पैनल का निर्माण निगम स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार निमित्त समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
3. **आयु सीमा:–** अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.10.2026 के आधार पर की जायेगी। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.10.2026 को 62 वर्ष से कम होना चाहिए।
4. **योग्यता एवं अनुभव:–** कार्यपालक अभियंता (असैनिक) पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का कम से कम 02 (दो) वर्षों अनुभव।
5. **वरीयता आधार:–** पैनल निर्माण में निम्नलिखित पहलुओं पर वरीयता दी जायेगी:–
 (क) भवन निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
 (ख) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य खाद्य निगम एवं राज्य भंडार निगम से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
6. **संविदा:–** निर्मित पैनल से आवश्यकतानुसार संविदा पर कार्य करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी से अनुबंध किया जायेगा। प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं सम्यक निर्णय लिया जायेगा।
7. **मानदेय:–** (क) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहँगाई राहत की राशि

को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

(ख) अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृति के समय अनुमान्य पे बैण्ड का प्रारम्भिक वेतन + उस प्रारम्भिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन + महंगाई भत्ता के योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य होगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

इस प्रकार अनुबंध परिलब्धियों में सभी भत्ता समाहित होगा।

सेवानिवृत्त एवं संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

8. मार्ग व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा परन्तु संस्थान का वाहन प्रयोग किए जाने की स्थिति में मार्ग व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को पी.पी.ओ. की प्रति अनिवार्यतः समर्पित करना होगा। अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को सेवानिवृति के समय पे बैण्ड का प्रमाणक देना होगा।
10. सेवानिवृत्त आवेदक को अन्तिम पदस्थापन संस्थान से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
11. पैनल में सम्मिलित होने हेतु संबंधित आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।
12. निर्मित पैनल से संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी को सरकारी सेवकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
13. निर्मित पैनल से नियोजित पदाधिकारी/कर्मी को सरकारी सेवकों को देय सुविधायें अनुमान्य नहीं होगा।
14. इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि–
 a) उनके विरूद्ध निगरानी में मामला नहीं चल रहा है,
 b) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नही है,
 c) उनके विरूद्ध कोई आरोप विचाराधीन नहीं है,
 d) उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नही है,
 e) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षो में कोई वृहद दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित नहीं है।
15. निर्मित पैनल से संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।
16. संविदा पर नियोजन के उपरांत यदि नियोजित पदाधिकारी/कर्मी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
17. निर्मित पैनल में किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम/सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. बिना कारण बताये प्रकाशित सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने/इसे स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा।
19. आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. पूर्ण आवेदन यथावश्यक अभिलेखों के साथ समाचार पत्रों में यह विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर ही स्वीकार होगा।

21. निर्मित पैनल के आधार पर चयन समिति द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी/कर्मी को उनके द्वारा समर्पित कागजात/अभिलेखों के सत्यापन हेतु अलग से सूचना दी जायेगी।
22. नियोजन के लिए प्यन किए जाने पर अनुबंध पत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य भंडार निगम, पटना

कार्यपालक अभियंता के पैनल निर्माण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य भंडार निगम,
बी–2, प्रथम तल मौर्यलोक, पटना–01

स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नामः–
2. आवेदक का नाम :–
 (क) हिन्दी में :–
 (ख) अंग्रेजी में :–
3. पिता/पति का नाम :–
4. पुरूष / महिला :–
5. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :–
6. उम्र (दिनांक 01.10.2026 के अनुसार):–
7. योगदान की तिथिः–
8. सेवानिवृति की तिथिः–
9. सेवानिवृति तिथि को पे–मैट्रीक्स लेवल या समकक्ष वेतनमानः–
10. स्थायी पता :–

11. पत्राचार का पता ::–

12. किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए है पूर्ण विवरण :
13. कार्यपालक अभियंता पद के लिए भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का अनुभव (वर्षों में) :–

14. सेवाकाल में किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है
 अथवा नहीं की विवरणी फलाफल सहितः–
15. वर्त्तमान में किसी संस्थान में यदि कार्यरत हैं
 तो उसका पूर्ण विवरण :–
16. वर्त्तमान में आवेदक के विरूद्ध कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन है/ दण्ड अध्यारोपित है/अपराधिक मामला दर्ज है अथवा नहीं। इसरो संबंधित पूर्ण विवरणी शपथ पत्र के माध्यम से दी जायः–.....
17. विगत 05 वर्षों की गोपनीय अभियुक्ति की प्रति संलग्न करना करें।
18. आवेदक का पहचान प्रमाण पत्रः–
 (आधार/डी.एल./वोटर कार्ड में से कोई एक की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
19. आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्रः–
 (आधार/डी.एल./वोटर कार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र में से कोई एककी स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
20. मोबाईल संख्याः–
21. आवेदक का पैन (PAN) (स्व अभिमाणित प्रति संलग्न करें):–
22. ईमेल आई. डी.
23. बायोडाटा (अनुलग्नक प्रपत्र में संलग्न करें)

घोषणा

मेरे द्वारा दिये गये उपर्युक्त सभी विवरणी सही एवं सत्य है तथा पूर्व कार्य सम्बद्ध विभागीय साक्ष्यों के आधार पर समर्पित है। किसी प्रकार की तथ्यात्मक कमी एवं गलत तथ्य के लिए मैं कानूनी कार्रवाई का भागीदार होऊँगा।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

अनुलग्नक

कार्यपालक अभियंता के पैनल निर्माण हेतु बायोडाटा

I. *आवेदित पद का नाम*	
आवेदक का नाम	
पिता/पति का नाम	
जन्म तिथि	
पैन न.	

II. *शैक्षणिक योग्यता की विवरणी (संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)*

क्रम संख्या	योग्यता	संस्थान का नाम	उत्तीर्ण वर्ष
1.			
2.			
3.			
4.			

III. *कार्य अनुभव की विवरणी (संबंधित कागजात/प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)*

क्रम	पदनाम	संस्था का नाम	पदस्थापन स्थान	पदस्थापन अवधि (---से	---तक)	कुल वर्षों में

IV *जमा कियें जानेवाले कागजातों/प्रमाण पत्रों की सूची*

क्रम संख्या	कागजातों/प्रमाण पत्रों की सूची

V. *अन्य सूचना (यदि कोई हो):-*

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः 1) ऑनलाईन आवेदनकर्त्ता PDF अथवा JPG Format में कागजातों को कृपया संलग्न करें।
2) आवश्यकतानुसार आवेदक अतिरिक्त पेपर का इस्तेमाल कर सकते है।